लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2349

जिसका उत्तर बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को दिया जाएगा

दुग्ध उत्पादक कंपनियों की निगरानी

2349. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्री शंकर लालवानी:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर दुग्ध उत्पादक कंपनियों की निगरानी की जाती है;
(ख) यदि हां, तो दुग्ध उत्पादक कंपनियों द्वारा दूध का निर्माण किस प्रकार किया जाता है;
(ग) देश में दूध की मांग की तुलना में उसके बहुत कम उत्पादन के क्या कारण हैं;
(घ) दूध के निर्माण के तरीके के कारण मानव शरीर को होने वाले इसके फायदे और नुकसान का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) दूध उत्पादक कंपनियों की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी लाइसेंस के अधीन छोड़कर, कोई खाद्य व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करेगा अथवा व्यवसाय नहीं चलाएगा।

दुग्ध के मानक, **खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011** के उप-विनियम 2.1.2 में विनिर्धारित हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में विस्तृत रूप से सामान्य और विशिष्ट स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को निर्दिष्ट किया है, जिसका अनुपालन दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री के कार्य में लगे हुए एफबीओ सहित खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा किया जाना है।

एफएसएस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सह्योज्य) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.1 "डेयरी उत्पाद और एनालॉग्स" के तहत विभिन्न प्रकार के दुग्ध के मानक निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ): वर्ष 1998 से विश्व भर के दुग्ध उत्पादक राष्ट्रों में भारत का स्थान प्रथम है और विश्व में गोवंश की सबसे अधिक संख्या यहीं पर है। दुग्ध उत्पादन 6.21 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 209.96 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान दुग्ध उत्पादन 221.06 मिलियन टन (अनंतिम) रहा।

32.60% की वृद्धि को दर्शाते हुए प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता वर्ष 2014-15 में 322 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 427 ग्राम हो गई। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 444 ग्राम/दिन (अनंतिम) है।

पशुपाल एवं डेयरी विभाग देश में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दुग्ध विकास स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है:

i) डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी);
ii) डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ);
iii) डेयरी क्रियाकलापों में संलग्न सहायक डेयरी कोऑपरेटिव एवं किसान उत्पादन संगठन (एसडीसीएफपीओ);
iv) पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ);
v) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

(ड.): एफएसएसएआई ने देश भर में सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक सुदृढ़ नियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

चूंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन का कार्य मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनों की जांच का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, जहां एफएसएस अधिनियम, 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाया जाता है, एफएसएस अधिनियम, 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी एफबीओ के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही, एफएसएस अधिनियम, 2006, और इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मापदंडों की जांच करने के लिए प्राथमिक और अपीलीय स्तरों पर खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क भी है। एफएसएसएआई ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) के अनुसार निरीक्षण को प्राथमिकता दी है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है और यह सलाह दी गई है कि लाइसेंस/पंजीकरण डेटा के उनके जोखिम आधारित वर्गीकरण के आधार पर एफबीओ परिसरों का निरीक्षण आरम्भ करें। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को आरबीआईएस के तहत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने समय-समय पर केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों के दौरों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, दुग्ध सहित सुरक्षित खाद्य उत्पादों की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु लक्षित प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाने के लिए अवगत कराया।

******